

**छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 29-04-2021 को 1600 बजे  
छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट**

**उपस्थित सदस्य**

1. ब्रिगे नरिंदर सिंह, अध्यक्ष
2. श्री.हर्षा, एच.ई, सदस्य सचिव
3. मनोनीत सदस्य – रिक्त

1. पीडब्ल्यूडी अनुभाग में सर्वेक्षण कार्य के लिए कंप्यूटर डेस्कटॉप की खरीद

सर्वेक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर और भवन के डिजाइन और स्केच को संभालने के लिए एएमडी राइजेन प्रोसेसर से लैस कंप्यूटर डेस्कटॉप की खरीद पर विचार करना और अन्य अचल संपत्ति, क्योंकि यह आवश्यक हो गया है और सर्वेक्षण और शहर के विकास पर बढ़ती आवेदन आवश्यकता को देखते हुए। इसलिए अनुप्रयोगों को स्थापित करने के लिए एक समर्पित डेस्कटॉप कंप्यूटर रखने का प्रस्ताव है ताकि उपरोक्त कार्यों को सुचारू रूप से संभाला जा सके।

इस संबंध में, जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल में वांछित विनिर्देशों के साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप का सर्वेक्षण करने पर, यह निम्नलिखित आइटम जीईएम में उपलब्ध पाया जाता है, और कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए दरों का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	विवरण	यूनिट मूल्य	जीएसटी @ 18%	कुल कीमत
1.	एएमडी राइजेन 7 प्रो 3700 16 जीबी , 1 टीबी एचडीडी, विंडोज 10 प्रो गारंटी : 5 वर्षों	₹.55,000	₹.9,900	₹.64,900
<b>कुल रकम</b>				<b>₹.64,900</b>

संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित फाइल को पटल पर रखा गया है।

**संकल्प सं. 1:** शासकीय ई-बाजार के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में सर्वेक्षण कार्य हेतु कम्प्यूटर डेस्कटॉप क्रय करने हेतु 64,900/- रुपये की राशि पर विचार एवं स्वीकृति।

2. कोविड - 19 लॉकडाउन के कारण पुरानी ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रख-रखाव एवं संग्रहण के लिए लाइसेंस शुल्क की छूट

संदर्भ: श्री एस सेनगुट्टुवन, लाइसेंसधारी, दिनांक 15.04.2021 और 21.04.2021 से प्राप्त अनुरोध पत्र।

कोविड -19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क पर विचार करने और माफ करने के लिए।

इस कार्यालय ने श्री एस सेनगुट्टुवन, ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए अस्थायी लाइसेंस, छावनी बोर्ड संकल्प (सीबीआर) संख्या 14 दिनांक 30.11.2020 के तहत प्रदान किया था।

जबकि, कोविड -19 की दूसरी लहर में गंभीरता के कारण, तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंध लगाए हैं और कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा किया है। इस संबंध में, राज्य सरकार ने 15.04.2021 से केवल 50% दुकानों को चलाने और कोविड -19 नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए लागू किया था।

जबकि, राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने 20.04.2021 से 30.04.2021 तक सभी मॉल और स्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, लॉकडाउन प्रतिबंधों का और विस्तार राज्य सरकार द्वारा प्रभावी होने की संभावना है क्योंकि चेन्नई में कोविड -19 मामले बढ़ रहे हैं।

इस संबंध में, श्री एस सेनगुट्टुवन, लाइसेंसधारी, ने 16.04.2021 के लिए लाइसेंस शुल्क राशि का 50% माफ करने और 20.04.2021 से 30.04.2021 तक लाइसेंस शुल्क की राशि को संदर्भ के तहत उद्धृत अपने अनुरोध पत्र के माध्यम से माफ करने का अनुरोध किया था।

अतः बोर्ड इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस संबंध में संबंधित फाइलें पटल पर रखी गई हैं।

**संकल्प सं. 2:** 16-04-2021 के लिए लाइसेंस शुल्क राशि का 50% माफ करने पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया। सीईओ/राजस्व अधिकारी दिनांक 20.04.2021 से 30.04.2021 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने के संबंध में निर्णय के लिए 30.04.2021 को जमीनी स्तर पर साइट निरीक्षण करने और आगामी बोर्ड बैठक में रिपोर्ट करने के लिए।

3. पार्थिबन रोड (एल्सटॉम कंपनी के विपरीत), पल्लावरम में अस्थायी स्टालों के रखरखाव और चलाने के लिए अस्थायी लाइसेंस की समाप्ति

संदर्भ: 1. छावनी बोर्ड संकल्प (सीबीआर) संख्या 5 दिनांक 26.03.21.

2. श्री वी संधाना कृष्णन, लाइसेंसधारी, दिनांक 16.04.2021 से प्राप्त पत्र।

पार्थिबन रोड (एल्सटॉम कंपनी के सामने), पल्लावरम में अस्थायी स्टालों के रखरखाव और संचालन के लिए अस्थायी लाइसेंस को समाप्त करने पर विचार करना।

इस कार्यालय ने छावनी बोर्ड संकल्प (सीबीआर) संख्या 10 दिनांक 30.08.2018 के तहत पार्थिबन रोड, पल्लावरम में अस्थायी स्टाल के रखरखाव और संचालन के लिए अस्थायी लाइसेंस श्री वी संधाना कृष्णन से सम्मानित किया था।

जबकि, श्री वी संधाना कृष्णन, लाइसेंसधारी, ने इस कार्यालय से अनुरोध किया था कि सड़क के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स के कारण उन्हें जारी अस्थायी लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाए जिससे मार्ग अवरुद्ध हो और इसलिए ग्राहकों की कमी के कारण व्यवसाय चलाने में असमर्थ हो। मामला बोर्ड पर रखा गया था और बोर्ड ने संदर्भ के तहत उद्धृत सीबीआर के माध्यम से लाइसेंस की समाप्ति के लिए मंजूरी दे दी थी और लाइसेंस समझौते के बिंदु 9 के अनुसार एक महीने का लाइसेंस शुल्क जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, बोर्ड ने मामले को फिर से संदर्भित करने के लिए हल किया, यदि लाइसेंसधारी एक महीने की किराया राशि को दंड के रूप में भुगतान करने से असहमत है।

इस संबंध में, श्री वी संधाना कृष्णन ने संदर्भ - 2 के तहत उद्धृत अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि वह दंड का भुगतान करने से असहमत हैं, क्योंकि उनकी समाप्ति के अनुरोध का कारण मुख्य रूप से बैरिकेड लगाकर व्यवसाय की कमी के कारण था, जिससे जीएसटी रोड से पार्थिबन रोड मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

**संकल्प सं. 3:** श्री वी संधाना कृष्णन के अनुरोध पत्र पर विचार किया और सीबीआर संख्या 5 दिनांक 26.03.21 के अनुसार लगाए गए दंड को माफ करने को मंजूरी दी।

4. रंगनाथ मुदली गली पल्लावरम (28 दुकान) में दुकानों के आवंटन हेतु निविदा के रूप में प्राप्त ईएमडी राशि की वापसी

संदर्भ: निविदाकर्ता से प्राप्त अनुरोध पत्रों ने दिनांक 19.04.2021 को दुकानों के आवंटन के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया।

रंगनाथन मुदली स्ट्रीट, पल्लावरम (28 दुकानों) में दुकानों के आवंटन के लिए निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा भुगतान की गई ईएमडी राशि पर विचार करने और वापस करने के लिए।

इस कार्यालय ने रंगनाथ मुदली स्ट्रीट, पल्लावरम में 28 नंबर की अस्थायी संरचना शेड की दुकानों को निविदा दी है, क्योंकि मौजूदा लाइसेंस की लाइसेंस अवधि समाप्त हो गई थी। इस संबंध में, कई निविदाकारों ने भाग लिया है और प्रति दुकान 25,000 रुपये की ईएमडी जमा की है।

जबकि, दुकान चलाने वाले दुकानों के लाइसेंसधारी दुकान खाली करने में विफल रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में एक मामला दायर किया है। इस संबंध में यह कार्यालय उक्त दुकान को उच्चतम निविदाकारों को आवंटित करने में सक्षम नहीं है।

इस संबंध में, निविदाकर्ताओं की ईएमडी राशि इस कार्यालय के पास है और निविदाकर्ता अपने संदर्भ के तहत उद्धृत पत्रों के माध्यम से अब इस कार्यालय से ईएमडी राशि वापस करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी 2020 में ईएमडी राशि जमा कर दी है।

अतः अनुरोध है कि बोर्ड इस संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 4:** रंगनाथ मुदली स्ट्रीट, पल्लावरम (28 दुकान) में दुकानों के आवंटन के लिए निविदा के लिए प्राप्त ईएमडी राशि वापस करने पर विचार और स्वीकृत।

सीबीआर नंबर 5 की प्रति दिनांक 29-04-2021

5. वर्ष 2021-2022 के लिए सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम अस्पताल में अर्ध ऑटो विश्लेषक और हेमेटोलॉजिकल सेल काउंटर नवीनीकरण के प्रयोगशाला उपकरण के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध

संदर्भ: जीईएम 1. अनुरोध आईडी : LIB1056108 अनुरोध सबमिशन दिनांक 13-04-2021. KX21(1 नंबर) - क्रम संख्या बी 7745 (पीवीएम)

2. अनुरोध आईडी : LIB1068530 अनुरोध सबमिशन दिनांक 13-04-2021. EC5+V2 - क्रम संख्या 110633 (एसटीएम)

3. अनुरोध आईडी : LIB1068530 अनुरोध सबमिशन दिनांक 13-04-2021. EC5+V2 - क्रम संख्या 110632 (पीवीएम)

21.03.2021 से 20.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम अस्पतालों के लिए प्रयोगशाला उपकरणों, सेमी ऑटो एनालाइज़र और हेमटोलॉजिकल सेल काउंटर के व्यापक रखरखाव पर विचार और अनुमोदन करना।

इसका जेम के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, और 16 तारीख से अब तक सीएमसी के लिए बोली भी उद्धृत की गई है। हालांकि जीईएम में संभावित बोलीदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और सहायक चिकित्सा अधिकारी ने महामारी की स्थिति और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन का अनुरोध किया है क्योंकि यह अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण है।

उपरोक्त उपकरण मेसर्स ट्रांसएशिया बायो-मेडिकल्स लिमिटेड चेन्नई से खरीदे गए थे और वही फर्म आज तक रखरखाव सेवाएं प्रदान कर रही है। रु.1,28,654/- की लागत में 21.03.2021 से 20.03.2022 तक एक वर्ष के लिए व्यापक रखरखाव के लिए उनके द्वारा उद्धृत कर शामिल हैं, पर विचार किया जा सकता है।

उपकरणों का विवरण इस प्रकार है :-

उपकरण संख्या	सीएमसी दर
1.EC5+V2 - क्रम संख्या 110633 (एसटीएम)	24,498 + आईजीएसटी(18%) - 4,410 = 28,908
1. KX 21 - क्रम संख्या B 7745 (पीवीएम)	60,032 + आईजीएसटी(18%) - 10,806 = 70,838
2. EC5+V2 - क्रम संख्या 110632 (पीवीएम)	24,498 + आईजीएसटी(18%) - 4,410 = 28,908
संपूर्ण	<b>रु.1,28,654/-</b>

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड फैसला ले सकता है।

**संकल्प सं. 5:** 21.03.2021 से 20.03.2022 तक एक वर्ष के लिए सेमी ऑटो एनालाइज़र और हेमटोलॉजिकल सेल काउंटर के प्रयोगशाला उपकरणों के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध के लिए मेसर्स ट्रांसएशिया बायो मेडिकल्स लिमिटेड चेन्नई को रु. 1,28,654 /- (करोड़ों सहित) के भुगतान पर विचार किया और अनुमोदित किया।

-/ वास्तविक प्रति /-

कार्यालय अधीक्षक  
छावनी बोर्ड

सीबीआर नंबर 6 की प्रति दिनांक 29-04-2021

6. वर्ष 2021-2022 के लिए सेंट थॉमस माउंट अस्पताल में कलर डॉपलर अल्ट्रा साउंड स्कैनर नवीनीकरण के अस्पताल उपकरण के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध।  
संदर्भ: जीईएम 1. अनुरोध आईडी: LIB1626560 अनुरोध सबमिट किया गया दिनांक- 13-04-2021। मॉडल: माइलैब सिक्स (एसटीएम)

19.03.2021 से 18.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट अस्पताल के लिए अस्पताल उपकरणों, कलर डॉपलर अल्ट्रा साउंड स्कैनर के व्यापक रखरखाव पर विचार और अनुमोदन करना।

इसका जेम के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, और 16 तारीख से अब तक सीएमसी के लिए बोली भी उद्धृत की गई है। हालांकि जीईएम में संभावित बोलीदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और सहायक चिकित्सा अधिकारी ने महामारी की स्थिति और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन का अनुरोध किया है क्योंकि यह अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण है।

इकाई: कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैनर  
मॉडल: माइलैब सिक्स  
विन्यास:

- i) मुख्य प्रणाली
- ii) कोई 1 जाँच-पड़ताल

उपरोक्त उपकरण मेसर्स एसाओट इंडिया (एनएस) लिमिटेड, चेन्नई से खरीदे गए थे और वही फर्म आज तक रखरखाव सेवाएं प्रदान कर रही है। रु.2,06,500/-की लागत में 19.03.2021 से 18.03.2022 तक एक वर्ष के लिए व्यापक रखरखाव के लिए उनके द्वारा उद्धृत करें पर विचार किया जा सकता है।

मॉडल	क्रम संख्या	सीएमसी अवधि	रकम	कर @18%	संपूर्ण
अल्ट्रासाउंड स्कैनर मॉडल: मायलैब सिक्स	240309	19-03-2021 to 18-03-2022	रु. 1,75,000	रु. 31,500	रु. 2,06,500/-
एसी2541- कॉन्वेक्स प्रोबी	7755				
एसएल1543- लिनियर प्रोबी	173900184C				

एसई3133- एंडोकवीती प्रोबी	180401018C				
------------------------------	------------	--	--	--	--

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड फैसला ले सकता है।

**संकल्प सं. 6:** रु.2,06,500/- (करों सहित) के भुगतान पर विचार किया और स्वीकृत किया। मेसर्स एसाओट इंडिया (एनएस) लिमिटेड चेन्नई को 19.03.2021 से 18.03.2022 तक एक वर्ष के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध के लिए।

-/ वास्तविक प्रति /-

कार्यालय अधीक्षक  
छावनी बोर्ड

7. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्री एस पार्थसारथी, एम/एसटीपीडम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 30, 2 स्ट्रीट, वी.जी.पी.मर्फ़ी स्कायर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 05.03.2021 पर विचार करने के लिए प्लॉट नंबर 21, वी.जी.पी.मर्फ़ी स्कायर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में कार्यालय (वाणिज्यिक) भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए अनुमति का अनुरोध। जीएलआरएस नंबर 369, आरएस नंबर 1461 भाग वाली विषय भूमि को बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेंट थॉमस माउंट, (वार्ड नंबर IV) में बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

**संकल्प सं. 7:** माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया, जो छावनी बोर्ड की धारा और उप-नियमों के तहत शर्तों के अनुरूप है और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

8. बी2 पट्टा भूमि पर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248(1) के तहत अनधिकृत निर्माण की संरचना

सेंट थॉमस एकेडमी सीबीएसई स्कूल, मैगजीन रोड, फुट ऑफ द हिल, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई के संवाददाता फादर सी पॉलराज से प्राप्त पत्र दिनांक 28.10.2020 पर विचार करने के लिए - 600 016 सेंट थॉमस माउंट पर बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 290 (भाग) वाली भूमि पर स्कूल अधिकारियों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुरोध, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।

इंजीनियरिंग अनुभाग रिपोर्ट :-

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेव.फादर थॉमस जे.मुंडकल, संपत्ति प्रशासक, सेंट थॉमस अकादमी सीबीएसई स्कूल, मैगजीन रोड, फुट ऑफ द हिल, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 द्वारा प्रस्तुत एक भवन योजना आवेदन उक्त जीएलआरएस संख्या 290 (भाग) में स्कूल भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए सीबीआर संख्या 21 दिनांक 08.09.2016 के तहत भूतल में 12036 वर्ग फुट, भूतल में 12036 वर्ग फुट पहली मंजिल और 12036 वर्ग फुट दूसरी मंजिल में स्वीकृत किया गया था।

आवेदक ने भूतल में तल क्षेत्रफल 8552.60 वर्ग फुट तथा प्रथम तल में 8552.60 का निर्माण कराया है। इनके अलावा भूतल पर 232.16 वर्गफीट क्षेत्रफल से भूतल तक बिना किसी स्वीकृति के अतिरिक्त सुरक्षा कक्ष का निर्माण अलग से किया गया है।

इसलिए, भूतल में सुरक्षा कक्ष सहित भूतल और पहली मंजिल में स्कूल भवन का कुल वास्तविक निर्माण 0.50 यानी (0.070<0.50) के अनुमेय एफएसआई के भीतर आता है।

हालांकि, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 248 (1) के तहत नोटिस इस कार्यालय के पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/2587 दिनांक 05.12.2019 और संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1413 दिनांक 30.07.2020 सुरक्षा कक्ष संरचना के लिए जारी किए गए थे। इसके अलावा इस कार्यालय के पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1678 दिनांक 21.08.2020 के माध्यम से एक अभियोजन कारण बताओ नोटिस भी स्कूल अधिकारियों को सुरक्षा कक्ष के लिए जारी किया गया है।

जवाब में, सेंट थॉमस अकादमी सीबीएसई स्कूल के संवाददाता, एफ़.आर.सी.पौलराज ने इस कार्यालय के खिलाफ 2020 के डबल्यू.पी. नंबर 11972 के माध्यम से मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अगस्त 2020 के महीने में यह कार्यालय दिए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी और फलस्वरूप इस कार्यालय को विद्यालय परिसर के भीतर निर्मित भूतल में सुरक्षा कक्ष के उक्त अनधिकृत निर्माण को नियमित करने का निर्देश देता हूं।

इसके अलावा, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने 02.09.2020 को आदेश पारित किया है। आदेश का मुख्य अंश इस प्रकार है: "की गई प्रस्तुति पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को इसके साथ

उपलब्ध दस्तावेजों और आक्षेपित नोटिसों में मांगे गए दस्तावेजों के साथ नियमितीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल करने की सलाह दी जाएगी। ऐसा अनुरोध इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करना होगा। ऐसी प्राप्ति पर, प्रतिवादी-बोर्ड को उस पर विचार करना होगा और उचित आदेश पारित करना होगा। तब तक आज तक यथास्थिति बनी रहेगी।

रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है। कोई लागत नहीं। नतीजतन, कनेक्टेड विविध याचिका को बंद किया जाता है।"

सुरक्षा कक्ष के नियमितीकरण के संबंध में निवेदन है कि विद्यालय प्राधिकारियों ने दिनांक 18.03.2020 को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। 27.05.2020 को आवेदन में कुछ टिप्पणियों के कारण उन्हें वापस कर दिया गया है। इसके अलावा, स्कूल अधिकारियों ने 04.06.2020, 09.09.2020 और 10.09.2020 को फिर से एक नियमितीकरण आवेदन और पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किए हैं और 01.10.2020 को उनके आवेदनों में कुछ टिप्पणियों के कारण उन्हें वापस कर दिया गया है।

अब आवेदक ने 238 वर्गफीट के भूतल क्षेत्र में भूतल में सुरक्षा भवन के अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुरोध करते हुए नए सिरे से नियमितीकरण भवन योजना प्रस्तुत की है।

भूतल में निर्मित कुल तल क्षेत्र अर्थात् 8790.60 वर्ग फुट भूतल में 238 वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र में सुरक्षा कक्ष के अनधिकृत निर्माण की लागत 1600/वर्ग फुट की दर से रु.3,80,800/- है और रचना शुल्क रु.76,160/- होगा जो निर्माण की लागत का 20% है।

बोर्ड सुरक्षा कक्ष के भूतल के लिए कंपोजिशन आवेदन पर विचार कर सकता है, जो बिल्डिंग उपविधि और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

यदि बोर्ड नियमितीकरण के लिए संरचना योजना को मंजूरी देता है, तो संरचना के संबंध में उनकी पिछली सहमति के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के प्रावधानों के तहत जीओसी-इन-चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे को एक व्यापक प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट और संबंधित कागजात पटल पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 8:** माना और स्वीकृत किया गया। जीओसी-इन-सी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव शुरू किया जाए।

9. दैनिक वेतन के आधार पर अस्पताल कर्मियों की नियुक्ति

संदर्भ: एएमओ अनुरोध पत्र दिनांक 20-04-2021

ऊपर उद्धृत संदर्भ पत्र के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्ति और मातृत्व अवकाश पर जा रहे हैं, इसलिए सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में कर्मचारियों की कमी है। कोरोना महामारी पॉजिटिव केस संबंधित क्षेत्र कार्य और निगरानी के कारण सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट को पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है। इस संबंध में सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में एक महीने की अवधि के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर अस्पताल के निम्नलिखित कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है और उनकी अवधि को कोविड की स्थिति के आधार पर बोर्ड को सूचित करके बढ़ाया जा सकता है: -

1. पुरुष नर्सिंग सहायक
2. अयाह
3. लच्छी
4. लैब तकनीशियन

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 9:** एक महीने की अवधि के लिए दैनिक वेतन के आधार पर निम्नलिखित संख्या में कामगारों को अस्पतालों में नियुक्त करने के लिए माना और अनुमोदित किया गया है और उनकी अवधि को कोविड की स्थिति के आधार पर बोर्ड को सूचित करके बढ़ाया जा सकता है। एएमओ को एमएच के परामर्श से नीचे उल्लिखित श्रमिकों का चयन और नियुक्ति करना है।

1. पुरुष नर्सिंग सहायक – 2 संख्या
  2. अयाह – 2 संख्या
  3. लच्छी – 1 संख्या
  4. लैब तकनीशियन -1 संख्या
10. श्री.सी.पी.पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक (सेवानिवृत्त) को 7वें वेतन आयोग 2016 के अनुसार कम्प्यूटेशन का भुगतान।

संदर्भ: निदेशालय का पत्र संख्या 2117/पेंशन/डीईओ/XIII/डीई दिनांक 05.03.2021

श्री.सी.पी.पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक, 30-04-2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। इस कार्यालय ने पीडीडीई, एससी की स्वीकृति के अनुसार ग्रेच्युटी/अवकाश वेतन/पेंशन/कम्प्यूटेशन का निपटान जारी किया है। सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया। श्री.सी.पी.पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक पर भी 7वां वेतन आयोग लागू है। इस कार्यालय ने ग्रेच्युटी/पेंशन/संराशीकरण को संशोधित किया था और इसे पीडीडीई, एससी, पुणे को पत्र संख्या.एसटीएम/ लेखा/2774 दिनांक 5/12/2018 के माध्यम से अग्रेषित किया था।

अब, इस कार्यालय को निदेशालय से पत्र संख्या: 2117/पेंशन/डीईओ/XIII/डीई दिनांक 05 मार्च, 2021 के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि, "संशोधित पेंशन स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित वेतनमान का कार्यान्वयन बोर्ड स्तर पर पेंशन को संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस कार्यालय ने उन्हें 01/09/2016 को रु.4,43,066/- की रूपान्तरण राशि जारी की थी। वेतनमान के संशोधन के अनुसार, कम्प्यूटेशन राशि रु.11,97,635 है। अतः श्री.सी.पी.पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक, (सेवानिवृत्त) को रु.7,54,569/- की शेष राशि का भुगतान किया जाना है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

**संकल्प सं. 10:** श्री सी.पी.पार्थसारथी, कार्यालय अधीक्षक (सेवानिवृत्त) को शेष राशि रु. 7,54,569/- जारी करने पर विचार एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

11. आचार्य तुलसी रोड, पल्लावरम में मवेशी झोंपड़ी की दुकान (15 नंबर) का आवंटन

संदर्भ: 1. यह कार्यालय पत्र संख्या: एसटीएम/आरईवी/0376 दिनांक 26.02.2021।

2. यह कार्यालय पत्र संख्या एसटीएम/आरईवी/0452 दिनांक 10.03.2021।

आचार्य तुलसी रोड, पल्लावरम में मवेशी शैडी दुकान (15 नंबर) के आवंटन पर विचार करना।

सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने प्रारम्भ में पूर्व अनुज्ञप्तिधारी (मवेशी शैडी दुकान) को अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए 11 माह की अवधि के लिए नियत अनुज्ञप्ति फीस रू.155/- तथा बाद में बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर वर्ष 2004 तक बढ़ा दिया गया था। जबकि, वर्ष 2004 में पूर्व लाइसेंसधारियों ने बोर्ड से लाइसेंस अवधि 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था और अनुरोध को बोर्ड की बैठक में लिया गया था। जबकि, बोर्ड ने पूर्व-लाइसेंसधारक द्वारा किए गए लाइसेंस अवधि के विस्तार के अनुरोध पर विचार किया था और छावनी बोर्ड की बैठक (सीबीआर संख्या 11 दिनांक 24.03.2004) में लाइसेंस शुल्क की राशि को 25% अर्थात् रू. 938/- रुपये प्रति माह (रू.750/- प्रति माह से) संशोधित करके लाइसेंस अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी लाइसेंसधारी दुकान खाली करने में विफल रहा था।

इस संबंध में इस कार्यालय ने वर्ष 2017 में नोटिस भेजकर पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों को दुकानें खाली करने का निर्देश दिया था क्योंकि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी और यह कार्यालय दुकानों के टेंडर की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा, इस कार्यालय ने जनवरी 2020 के महीने में पूर्व लाइसेंसधारी को दुकानें खाली करने के लिए फिर से नोटिस भेजा और दुकानों के लिए निविदाएं जारी कीं। जबकि, पूर्व अनुज्ञप्तिधारी ने माननीय जिला मुंसिफ न्यायालय, अलंदूर के समक्ष मामला दायर किया है।

गौरतलब है कि लंबे समय से लाइसेंस शुल्क में संशोधन नहीं होने के कारण इस कार्यालय को राजस्व की हानि का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, विस्तार प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्व-लाइसेंसधारक बिना किसी उचित समझौते/आदेश के उक्त दुकानों पर बहुत लंबे समय से कब्जा कर रहे थे।

अतः इस कार्यालय ने दिसंबर 2020 में पूर्व लाइसेंसधारियों को तीन दिनों के भीतर दुकान खाली करने के लिए एक पत्र भेजा था ताकि इसे नए लाइसेंसधारियों को सौंप दिया जाए, जिन्हें छावनी बोर्ड की बैठक द्वारा निविदा प्रक्रिया (उच्चतम निविदाकर्ता) से चुना गया था। इस संबंध में पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों ने पुनः माननीय जिला मुंसिफ न्यायालय, अलंदूर के समक्ष मुकदमा दायर किया है। चूंकि पूर्व अनुज्ञप्तिधारी पत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर परिसर खाली करने में विफल रहे हैं, इस कार्यालय ने 23.12.2020 को पुलिस सहायता से दुकानों को सील कर दिया था।

इस संबंध में, पूर्व लाइसेंसधारक ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर लाइसेंस अवधि में विस्तार की मांग की है। इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व लाइसेंसधारियों को मवेशी शैडी की दुकानों पर कब्जा करने की अनुमति देने की संभावनाओं के बारे में पूछा था और इस कार्यालय को उसी पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, इस कार्यालय ने किंग एंड पार्टिज को संदर्भ -1 के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से पूर्व लाइसेंसधारी को दुकान आवंटित करने के तथ्यों को विस्तृत करते हुए एक पत्र भेजा था।

जबकि, इस कार्यालय को पूर्व लाइसेंसधारियों से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें रू.11,000 प्रति माह की लाइसेंस फीस के लिए दुकानें आवंटित करने का अनुरोध किया गया था और आगे कहा गया था कि वे इस कार्यालय द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य मांग का पालन करेंगे। इस संबंध में, इस कार्यालय ने संदर्भ-2 के तहत

उद्धृत पत्र के माध्यम से किंग एंड पार्टिज को फिर से एक पत्र अग्रेषित किया था, जिसमें बताया गया था कि पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा उद्धृत लाइसेंस शुल्क राशि कम है और पूर्व-लाइसेंसधारियों को सभी दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क राशि के रूप में उच्चतम बोली राशि का भुगतान करना होगा और इसे माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को सुना था और पूर्व लाइसेंसधारियों को सभी दुकानों के लिए निविदा प्रक्रिया में उद्धृत अधिकतम राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। जबकि, इसका पूर्व लाइसेंसधारियों द्वारा विरोध किया गया था और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस राशि को कम करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने निविदा लाइसेंस शुल्क राशि का औसत निकाला और पूर्व लाइसेंसधारियों को रु .17,000/- प्रति माह का भुगतान करने का आदेश दिया। चूंकि यह राशि पूर्व-लाइसेंसधारियों द्वारा भी अधिक पाई गई थी, उन्होंने लाइसेंस शुल्क राशि को कम करने के लिए फिर से एक रिट याचिका दायर की थी।

अंत में, माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर विचार करते हुए, अदालत ने इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित शर्तों पर निपटाया :-

1. तीसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को रु. 12,000/- के किराए पर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01.04.2021 से 31.03.2022 तक दुकानें चलाने की अनुमति देगा बशर्ते कि याचिकाकर्ता ने तीसरे प्रतिवादी को एक वचन पत्र दिया कि वे दुकान खाली कर देंगे और तीसरे प्रतिवादी को उस व्यक्ति को दुकान आवंटित करने के लिए कब्जा सौंप दें, जिन्होंने सार्वजनिक नीलामी पर दुकान ली है, यदि याचिकाकर्ता 31.03.2022 को दुकानों को सौंपने के लिए वचन पत्र देने में विफल रहता है।
2. तीसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ता को 31.03.2022 तक अनुमति देगा और 01.04.2022 से सार्वजनिक नीलामी के लिए जाएगा।
3. याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर तीसरे प्रतिवादी बोर्ड को किराए के बकाया का भुगतान करेगा। तीसरा प्रतिवादी अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक महामारी की अवधि के लिए और 23.12.2020 की अवधि के लिए किराए में छूट देगा।
4. याचिकाकर्ता को हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले बिना किसी चूक के हर महीने 12,000/- रुपये के किराए का भुगतान करना होगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह तीसरे प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए खुला है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश महामारी की स्थिति को देखते हुए और कार्यवाही के लिए पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार पारित किया गया है। इस आदेश को इसी तरह के अन्य मुद्दों के लिए मिसाल नहीं माना जा सकता।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

**संकल्प सं. 11:** माना और नोट किया।

sd/-  
(ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह)  
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड  
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम  
छावनी बोर्ड

sd/-  
(हर्षा एच. ई)  
सदस्य सचिव और  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक :29-04-2021

अंत